भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5427
दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां

5427. प्रो.रीता बहुगुणा जोशीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में पशु चिकित्सालयों की कमी को पूरा करने के लिए और अधिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के उपयोग को बढ़ावा देगीः

(ख) यदि हां, तो विशेष रुप से पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हाँ। सरकार, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना के तहत, वित्तीय सहायता प्रदान करके "मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों" (एमवीयू) की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक करती है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) द्वारा किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं लाने के लिए, केंद्र सरकार, वर्ष 2021-22 से, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान कर रही है। हालांकि, आवर्ती परिचालन व्यय पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

इन एमवीयू को ऑनसाइट आपातकालीन उपचार, मामूली सर्जरी और पशुओं के लिए क्षेत्र की स्थितियों में नैदानिक उद्देश्यों के लिए नमूना संग्रहण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ अनुकूलित किया गया है। प्रत्येक एमवीयू में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा-पशु चिकित्सक और एक चालक-सह-अटेंडेंट होता है।

(ख) सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान 4332 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित 33 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 681.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई निधियों और एमवीयू की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत एमवीयू और जारी की गई निधि का विवरण			
क्र.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत एमवीयू की संख्या (खरीद और अनुकूलन)**	**वर्ष 2021-22 के दौरान जारी निधियाँ (लाख रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	340	5440.00
2	बिहार	307	4912.00
3	छत्तीसगढ	163	2608.00
4	गोवा	2	20.00
5	गुजरात	127	889.00
6	हरियाणा	70	1120.00
7	हिमाचल प्रदेश	44	704.00
8	झारखंड	236	3776.00
9	कर्नाटक	275	4400.00
10	केरल	29	464.00
11	मध्य प्रदेश	406	6496.00
12	महाराष्ट्र	80	1280.00
13	ओडिशा	181	2896.00
14	पंजाब	70	1120.00
15	राजस्थान	536	8576.00
16	तमिलनाडु	245	3920.00
17	तेलंगाना	100	1600.00
18	उत्तर प्रदेश	520	8320.00
19	उत्तराखंड	60	960.00
20	पश्चिम बंगाल	218	3488.00
21	अरुणाचल प्रदेश	25	400.00
22	असम	159	2544.00
23	मणिपुर	33	528.00
24	मेघालय	17	272.00
25	मिजोरम	26	416.00
26	नागालैंड	16	256.00
27	सिक्किम	6	96.00
28	त्रिपुरा	13	208.00
29	पुदुचेरी	1	16.00
30	दिल्ली	3	48.00
31	जम्मू और कश्मीर	6	96.00
32	लद्दाख	9	144.00
33	लक्षद्वीप	9	144.00
	संपूर्ण	**4332**	**68157.00**

*****